पत्रांक 15/एम 1–57/2013 – 676
शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

एस0एम0 करीम,
निदेशक (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

कुलसचिव,
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

पटना, दिनांक 26/3/2015

विषयः– डॉ0 भूषण सिंह, अंग्रेजी विभाग, पी0 आर0 कॉलेज, सोनपुर, सारण को स्वीकृत वित्त रहित द्वितीय पद से रिक्त वित्त सहित प्रथम पद पर स्थानान्तरण (Shifting) के संबंध में।

प्रसंग :– विश्वविद्यालय का पत्रांक 4812 (R) दिनांक 05.02.2014 व पत्रांक 3158 (R) दिनांक 09.04.2013

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि घाटानुदान प्राप्त महाविद्यालयों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित तथा इसके अधीन गठित परिनियमों एवं संविधान की धारा 14 के साथ–साथ बिहार राज्य आरक्षण अधिनियम में अंकित प्रावधानों के अधीन शिक्षकों के रिक्त पदों पर विधिवत् नियुक्ति किए जाने के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक का समायोजन किया जाना या पद स्थानान्तरण (Shifting) करना सर्वथा विधिसम्मत नहीं है।

वित्त विभाग के परामर्श व बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 3 (3) के अनुसार अधिनियम/परिनियम के विरूद्ध की गई नियुक्ति को **ab initio void** माना गया है और किसी भी समय वैसे नियुक्त शिक्षकों को बर्खास्त किया जा सकता है। इस प्रकार के गैर कानूनी कार्य में संलिप्त सभी पदाधिकारियों को **Public Demand Recovery Act 1914** के तहत राशि को भी वसुल किया जाएगा।

अतः डॉ0 भूषण सिंह, अंग्रेजी विभाग, पी0आर0 कॉलेज, सोनपुर, सारण को स्वीकृत वित्त रहित द्वितीय पद से रिक्त वित्त सहित प्रथम पद पर स्थानान्तरण (Shifting) के प्रस्ताव में राज्य सरकार की असहमति संसूचित की जाती है। साथ ही विश्वविद्यालय यह भी सुनिश्चित करे कि पूर्व में इस प्रकार नियम विरूद्ध सामंजन के जितने भी मामले हैं उनकी जाँच त्वरित ढंग से कर पूर्व के आदेश को विखंडित किया जाए। साथ ही निदेश दिया जाता है कि श्री भूषण सिंह को वित्त सहित प्रथम पद के वेतन के भुगतान पर तत्काल रोक लगाते हुए इस पद हेतु अब तक भुगतान की गई राशि की नियमानुकूल वसूली सुनिश्चत करें। कृत कार्रवाई से विभाग को शीघ्र सूचित करने का कष्ट करें। भविष्य में यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि विश्वविद्यालय द्वारा विभागीय पत्र का अनुपालन नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

26/03/15

(एस0एम0 करीम)
निदेशक (उच्च शिक्षा)